150

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	प्र.सं. 139/2022 Online No. 2022/533 गुलाब व अन्य / मै. अहिंसा इन्फ्रास्ट्रक्चर
28/11/22 सीता [illegible] संदीप कोठारी विपक्षी सं. 2 लगायत 5 की ओर से 16/11/22	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ता की राजीनामा प्रार्थना पत्र दिनांक 16/11/22 पर बहस सुनी गयी। राजीनामा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर राजीनामा शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकॉर्ड प्रेषित हो। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी,डॉ0 पूजा सक्सेना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 139/2022 रा0वा0

उनवान

1. गुलाब पुत्र स्व0 पेमा गाडरी निासी बिलिखखुर्द तहसील व जिला भीलवाडा।
2. कालू पुत्र स्व0 पेमा गाडरी निासी बिलिखखुर्द तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्रवण पुत्र स्व0 पेमा गाडरी निासी बिलिखखुर्द तहसील व जिला भीलवाडा।
4. राजी पुत्री स्व0 पेमा गाडरी निासी बिलिखखुर्द तहसील व जिला भीलवाडा।
5. श्रीमति नोजी पत्नि स्व0 पेमा गाडरी निासी बिलिखखुर्द तहसील व जिला भीलवाडा।

– वादीगण

बनाम

1. मैसर्स अहिंसा इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डवलपर्स लि0, 77 फलोर मूला जी जेठा बिल्डिंग 185/187 प्रिंसेस स्ट्रीट, मेरीन लाईन, मुम्बई 400002, जरिये डायरेक्टर श्री संदीप पुत्र श्री चन्द्र सिंह कोठारी आयु वयस्क निवासी सी–59 काशीपुरी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. सीताराम पुत्र श्री हरलाल गाडरी निवासी बिलियाखुर्द तहसील व जिला भीलवाडा।
3. सीता पुत्री श्री हरलाल गाडरी निवासी बिलियाखुर्द तहसील व जिला भीलवाडा।
4. प्रभु पुत्र श्री हरलाल गाडरी निवासी बिलियाखुर्द तहसील व जिला भीलवाडा।
5. श्रीमति लेहरी पत्नी श्री हरलाल गाडरी निवासी बिलियाखुर्द तहसील व जिला भीलवाडा।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

– प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,92क 53,188 आरटीए

उपस्थितः

1– श्री जगदीशचन्द्र दाधीच अधिवक्ता वादीगण
2– श्री शोभागमल कुमावत अधिवक्ता प्रतिवादीगण

:: निर्णय ::

दिनांक 28.11.2022

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 की और से निम्नलिखित राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवदेन किया है कि उक्त उनवान का वाद पत्र आप न्यायालय के समक्ष जैर कार्यवाही है। सरहद बिलियाखुर्द पटवार हल्का हरणीकलॉ भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 146 में आराजी नम्बर 80 रकबा 0.6449 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त वर्णित आराजियात जो कि पेमा पुत्र श्री हीरा गाडरी, हरलाल पुत्र धूकल गाडरी, नारायण पुत्र हीरा गाडरी की संयुक्त शामलाती होकर उक्त आराजियात में वादीगण के पिता व पति का 1/3 हक हिस्सा, हरलाल यानि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के पिता व पति का 1/3 हक हिस्सा व नारायण गाडरी का 1/3 हक हिस्सा होकर तीनो खातेदार 1/3–1/3 हक हिस्सा था। उक्त वर्णित आराजियात में खातेदार हरलाल एवं नारायणलाल ने अपना अपना हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 को विक्रय किया गया लेकिन प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 05 के पिता हरलाल का उक्त आराजियात में 1/3 हक हिस्सा होते हुए भी प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 05 के पिता हरलाल द्वारा उक्त आराजी में अपना 1/2 हक हिस्सा बताकर उसमें से 3/7 हक हिस्सा यानी वादीगण के पिता व पति पेमा के हक हिस्से सहित प्रतिवादी संख्या 01 को दिनांक 26.9.2007 को विक्रय कर विक्रयपत्र पंजीयन करा दिया, जो वादीगण के हक अधिकार के मुकाबले शुरू से ही अवैध, शून्य निष्प्रभावी(नल एण्ड वोईड) है

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

जो प्रतिवादीगण को स्वीकार है। उक्त अवैध विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2 आधा हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 05 के पिता व पति द्वारा विक्रयपत्र में 1/14 हक हिस्सा शेष रहना बताया गया, फिर भी उनका 1/4 हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गया व वादीगण का 1/3 हक हिस्सा के बजाय 1/4 हक हिस्सा दर्ज होई गया है, जो गलत है। सरहद बिलियाखुर्द पटवार हल्का हरणीकलॉ भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 146 में आराजी नम्बर 80 रकबा 0.6449 हैक्टेयर में वादीगण का 1/3 हक हिस्सा निहित है, प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 05 के पिता व पति हरलाल द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में 16 नवम्बर 2007 को अपने हक हिस्से से अधिक किये गये बिकाव को वादीगण के हक हिस्से तक नल एण्ड वोईड घोषित कराया जाकर वादीगण का 1/3 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 का 2/3 हक हिस्सा अनुसार इन्द्राज दुरूस्त कराने व उक्तानुसार हक हिस्सा दर्ज करवाने व वादीगण को 1/3 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 को कोई आपत्ति नही है एवं साथ ही प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 05 का नाम विलोपित कर प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 05 का नाम हटाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

वादग्रस्त आराजी संख्या 80 रकबा 0.6449 हैक्टेयर में वादी का 1/3 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 का 2/3 हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 5 के पिता व पति ने पूर्व में अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा बिकाव कर दिया जो सही है। लोकिन सेहवन से खाते में हमारा नाम अंकित किया गया है जो गलत होकर दुरूस्त होने योग्य है व न ही उक्त आराजी पर हमारा कब्जा ही है व न ही हम इसका उपयोग उपभोग कर रहे है। इसलिए उक्त खाते मे से हम प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 05 का नाम हटाया व विलोपित कराये जाने का प्रदान करावे। हम प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 05 को कोई आपत्ति नही हारेगी व न ही हम भविष्य मे करेगे। इस प्रकार से वादी का 1/3 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 का 2/3 हक हिस्सा होने की घोषणात्मक डिक्री जारी कराये जाने का आदेश प्रदान करावे। उक्त आराजियात का हक हिस्से कब्जे अनुसार विभाजन किये जाने पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 को कोई आपत्ति नही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि राजीनामा तस्दीक फरमा, राजीनामा अनुसार वादपत्र डिक्री फरमाया जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत राजीनामा को सुन समझकर स्वीकार किया। वादग्रस्त ग्राम बिलियाखुर्द प0ह0 हरणीकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2077 में आराजी नम्बर 80 क्षैत्रफल 0.6449 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रेकार्ड है। प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 05 के पिता व पति हरलाल द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में दिनांक 16.11.2007 को अपने हक हिस्से से अधिक किये गये बिकाव को वादीगण के हक हिस्से तक नल एण्ड वोईड घोषित कराया जाकर वादीगण का 1/3 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 का 2/3 हक हिस्सा अनुसार इन्द्राज दुरूस्त कराने की राजीनामा में प्रार्थना की गई है। मुताबक राजीनामा दिनांक 16.11.2022 अनुसार आजदिनांक 28.11.2022 को स्वीकार किया जाकर आराजी सं0 80 रकबा 0.6449 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 05 के पिता व पति हरलाल द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में दिनांक 16.11.2007 को अपने हक हिस्से से अधिक किये गये बिकाव को वादीगण के हक हिस्से तक नल एण्ड वोईड घोषित करते हुए प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 05 का नाम विलोपित करते हुए वादीगण का 1/3 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 का 2/3 हक हिस्सा दर्ज किये जाने की घोषणात्मक डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतःएवं

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

::आदेश::

वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 16.11.2022 अनुसार राजीनामा दिनांक 28.11.2022 को स्वीकार किये जाने से मुताबिक राजीनामा ग्राम बिलियाखुर्द प0ह0 हरणीकलां तहसील **व** जिला भीलवाडा के आराजी संख्या 80 रकबा 0.6449 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 05 के पिता व पति हरलाल द्वारा प्रतिवादी संख्या **01** के पक्ष में दिनांक 16.11.2007 को अपने हक हिस्से से अधिक किये गये बिकाव को वादीगण के हक हिस्से तक नल एण्ड वोईड घोषित करते हुए प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 05 का नाम विलोपित किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उक्त आराजी में वादीगण का 1/3 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 का 2/3 हक हिस्सा दर्ज करने की घोषणात्मक डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करने की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

(डॉ. पूजा सक्सेना)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–श्रीमति ओम प्रभा, आर.ए.एस.

<u>उनवान</u>

1. गुलाब पुत्र स्व0 पेमा गाडरी निासी बिलिखखुर्द तहसील व जिला भीलवाडा।
2. कालू पुत्र स्व0 पेमा गाडरी निासी बिलिखखुर्द तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्रवण पुत्र स्व0 पेमा गाडरी निासी बिलिखखुर्द तहसील व जिला भीलवाडा।
4. राजी पुत्री स्व0 पेमा गाडरी निासी बिलिखखुर्द तहसील व जिला भीलवाडा।
5. श्रीमति नोजी पत्नि स्व0 पेमा गाडरी निासी बिलिखखुर्द तहसील व जिला भीलवाडा।

– वादीगण

बनाम

1. मैसर्स अहिंसा इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डवलपर्स लि0, 77 फलोर मूला जी जेठा बिल्डिंग 185/187 प्रिंसेस स्ट्रीट, मेरीन लाईन, मुम्बई 400002, जरिये डायरेक्टर श्री संदीप पुत्र श्री चन्द्र सिंह कोठारी आयु वयस्क निवासी सी–59 काशीपुरी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. सीताराम पुत्र श्री हरलाल गाडरी निवासी बिलियाखुर्द तहसील व जिला भीलवाडा।
3. सीता पुत्री श्री हरलाल गाडरी निवासी बिलियाखुर्द तहसील व जिला भीलवाडा।
4. प्रभु पुत्र श्री हरलाल गाडरी निवासी बिलियाखुर्द तहसील व जिला भीलवाडा।
5. श्रीमति लेहरी पत्नी श्री हरलाल गाडरी निवासी बिलियाखुर्द तहसील व जिला भीलवाडा।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

– प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,92क 53,188 आर.टी.ए.</u>

वादीगण की और से अधिवक्ता श्री जगदीशचन्द्र दाधीच उपस्थित व प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता शोभागमल कुमावत उपस्थित – में इस वाद के आज दिनांक 28.11.2022 को डा0 पूजा सक्सेना,आर.ए.एस. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि और इस वाद के मामले में लेखो प्रतिशत रूपये की राशि आज दिनांक से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत को दी जावे।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 16.11.2022 अनुसार राजीनामा दिनांक 28.11.2022 को स्वीकार किये जाने से मुताबिक राजीनामा ग्राम बिलियाखुर्द प0ह0 हरणीकलां तहसील व जिला भीलवाडा के आराजी संख्या 80 रकबा 0.6449 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 05 के पिता व पति हरलाल द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में दिनांक 16.11.2007 को अपने हक हिस्से से अधिक किये गये बिकाव को वादीगण के हक हिस्से तक नल एण्ड वोईड घोषित करते हुए प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 05 का नाम विलोपित किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उक्त आराजी में वादीगण का 1/3 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 का 2/3 हक हिस्सा दर्ज करने की घोषणात्मक डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करने की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आज दिनांक 28.11.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायिलय मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा